"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2005—पौष 3, शक 1927

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक/4477/सी.एम.नि./107/2005/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय राज्य के भीतर कृषकों द्वारा उत्पादित और मंडी में लायें जाने वाली अधिसूचित कृषि उपज सोयाबीन के मण्डी शुल्क में प्रति सौ रुपये मूल्य पर एक रुपये की कमी अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक/4477/सी.एम.नि./107/2005/14-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

Raipur, the 24th December 2005

NOTIFICATION

No. /4477/C.M.N.I./107/2005/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby reduce market fees leviable under section 19 of the Act at the rate of Rupee one on per hundred Rupees price for the period of three years from the date of notification on notified agriculture produce Soybean produced and brought in market yard, by farmers, within the State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRATAP KRIDUTTA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.